झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./16/18– 110 ,राँची/दिनांक: 06/11/2018

बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2018 (B.Sc. Community Health Entrance Competitive Examination-2018) के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2018 के परीक्षाफल के आधार पर दिनांक 12.10.2018 को बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुशंसा भेजने के निमित्त आयोजित प्रथम् साक्षात्कार में अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरांत, रिक्त सीटों पर अनुशंसा भेजने के निमित्त दिनांक 19.11.2018 को द्वितीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है।

2. संस्थान–वार/पाठ्यक्रम–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Download कॉलम पर देखा जा सकता है। उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम् साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

3. उक्त परीक्षाफल के आधार पर 3½ वर्षीय बी0एससी0 (सामुदायिक स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2018–19 में नामांकन हेतु दिनांक 19.11.2018 को द्वितीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है जिसमें अर्हरित (Eligible) अभ्यर्थियों को मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर नामांकन हेतु औपबंधिक रूप से अनुशंसित किया जायेगा। संस्थान/सीट पुनर्आवंटन/आवंटन के निमित्त उम्मीदवारों की पात्रता तथा प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच के लिए, मेधाक्रमानुसार, द्वितीय साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) निम्न प्रकार है :–

PH/Primitive Tribal Group Rank (दिव्यांग/आदिम जन–जाति समूह मेधाक्रमानुसार)				
Sl. No.	Category/ Quota	Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1.	PH Rank [Priority Type – I] (Minimum 40% permanent visual impairment)	1	2	19.11.2018/ 10:00 AM
2.	Primitive Tribal Group	1	1	

CML Rank/ Category Rank Wise (संयुक्त मेधाक्रमानुसार एवं कोटि मेधाक्रमानुसार)						
Sl. No.	Category	CML Rank Range		CAT Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	From	To	
1.	Unreserved	1	115	-	-	19.11.2018/ 10:00 AM
2.	ST CAT Rank	-	-	3	74	19.11.2018/ 11:30 AM

नोटः– (क) संयुक्त मेधाक्रम 1 से 115 तक में अनुसूचित जाति कोटि के 09, अनुसूचित जन जाति के 02, पिछड़ा वर्ग –I के 37 तथा पिछड़ा वर्ग –II के 33 अभ्यर्थी शामिल हैं अतः उन्हें अलग से कैटेगरी के साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया है। वे दिनांक 19.1.2018 को सामान्य कोटि के सीटों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि का सीटों का चयन कर सकते हैं।

(ख) क्षैतिज आरक्षण के तहत दिव्यांगों एवं आदिम जन–जाति के लिए आरक्षित सीट/सीटें रिक्त रहने पर उसे संबंधित कोटि में समायोजित कर दी जायेगी।

4. साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आबंटन किया जायेगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईस (पी0सी0बी0)/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ग)** बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2018 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति}, **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक–18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–04–03/2016 का0–4650 दिनांक–02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र **(ड.)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) तथा **(च)** दिव्यांग अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प–2249 दिनांक–03.04.2018 के विहित प्रपत्र में चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पुराने एवं अन्य प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे एवं **(ज)** पासपोर्ट सांईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के वैसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो **उन्हें भी सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।**

नोट (ग) :– सिर्फ प्रवेश पत्र **(Admit Card)** गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन **(F.I.R.)** की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन मान्य नहीं होगा।

5. **साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।**

6. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका 4 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आवंटन नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जायेगा।

7. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– साक्षात्कार शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास **ATM/Debit Card** साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं0 एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

8. **आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन आदेश में अंकित रहेगा।**

9. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

10. दिनांक 19.11.2018 को आयोजित सामान्य (Unreserved) कोटि के साक्षात्कार के दौरान आरक्षित कोटि के शामिल अभ्यर्थी यथा SC/ST/BC–I/BC-II कोटि के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के समय अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रम/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रम/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे साक्षात्कार के दौरान ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

11. साक्षात्कार के दौरान अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियों, उनके हस्ताक्षर, पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के मेधाक्रम पर उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को सीट, पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन उनके मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

13. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

14. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों के साथ विलम्ब से उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस समय/दिन पर उपलब्ध सीटों/पाठ्यक्रम/संस्थानों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

15. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान आबंटन की गारंटी नहीं है।

16. **साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।** आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. **जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम संख्या इस विज्ञापन की कंडिका 3 में अंकित हैं, उन्हें इस साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित समय एवं तिथि पर साक्षात्कार में निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा।**

18. चालू साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 9264473893/9264473891 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक के आदेशानुसार,

(रंजीता हेम्ब्रम,झा०प्र०से०)
उप परीक्षा नियंत्रक